



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Bachelor of Arts				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Dr. Heera Lal Sharma	Associate Professor	Ph.D	heeralalsharma640@gmail.com 9479218010
2.	Dr. Chandana Mitra	Professor	Ph.D	dr.chandanamitra@gmail.com 9425535308
3.	Dr. Dongeshwar Sahu	Assistant Professor	NET	dpsahu2015@gmail.com 8982443368

[Signature]
REGISTRAR
 Pt. Sundarlal Sharma (Open)
 University Chhattisgarh
 BILASPUR (C.G.)

[Signature]
Regional Director
 Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
 Chhattisgarh, Bilaspur

// आदेश //

बिलासपुर, दिनांक : 14 /03/2024

क्र. 2487/स्था./प्रशा./2024 :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा डॉ. हीरालाल शर्मा, हिन्दी विभाग, शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छ.ग. की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए इन्हें पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में कला संकाय के विषय समूह में रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।

राज्य शासन के उपरोक्त आदेश के तारतम्य में डॉ. हीरालाल शर्मा को सह प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसर) पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति के सामान्य शर्तों पर शासन के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

आदेशानुसार

E. L. B. S.
14.03.2024
कुलसचिव

पृ.क्रमांक /स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक: /03/2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. डॉ. हीरालाल शर्मा, हिन्दी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

E. L. B. S.
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

प्रभारी
स्थापना/प्रशासन

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

—// आदेश //—

बिलासपुर, दिनांक : 16/03/2024

क्र. 2515/स्था./प्रशा./2024 :- विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 10 (A) के अंतर्गत विभिन्न Faculties के Director का दायित्व आगामी आदेश तक निम्नानुसार को दिया जाता है :-

No.	Faculty Name	Name
1	School of Humanities	Dr. Heeralal Sharma
2	School of Social Science	Dr. Chandana Mitra
3	School of Science	Dr. Basant Kumar Soni
4	School of Education/ Physical Education	Dr. Santosh Kumar Bajpayee
5	School of Life Science	Dr. Dhananjay Mishra

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2055/स्था./प्रशा./2023 बिलासपुर दिनांक 06.10.2023 के द्वारा डॉ. शोभित कुमार वाजपेयी, प्राध्यापक Faculty of Commerce & Management Studies के Director बने रहेंगे।

यह आदेश जारी तिथि से प्रभावशील होगा।

अनुदेशानुसार

[Signature]
16.03.2024
कुलसचिव

पृ.क्रमांक 2516/स्था./प्रशा./2023
प्रतिलिपि -

बिलासपुर दिनांक : 16/03/2024

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. Director, CIQA को सूचनार्थ।
3. संबंधित को सूचनार्थ एवं आदेश के पालनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

[Signature]
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

[Signature]
प्रभारी
स्थापना/प्रशासन

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- फैकल्टी के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय आदेश क्र. 2515/स्था./प्रशा./2024 बिलासपुर दिनांक
16.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपालन में मैं डॉ. हीराछाह शर्मा
आज दिनांक 16.03.2024 को फैकल्टी प्रानिक्की
अध्ययनशाळा के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सादर सूचनार्थ।

दिनांक : 03.2024

नाम -

महोदय
डॉ. हीराछाह शर्मा


प्रभारी
स्थापना विभाग
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

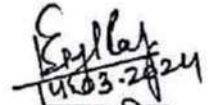
// आदेश //

बिलासपुर, दिनांक : 14/03/2024

क्र. 2485/स्था./प्रशा./2024 :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा डॉ. चंदना मित्रा, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग. की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए इन्हें पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में सामाजिक विज्ञान संकाय के विषय समूह में रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।

राज्य शासन के उपरोक्त आदेश के तारतम्य में डॉ. चंदना मित्रा को प्राध्यापक पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति के सामान्य शर्तों पर शासन के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

आदेशानुसार


14/03/24
कुलसचिव

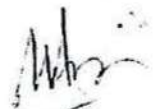
पृ.क्रमांक 2486/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक: 14/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. डॉ. चंदना मित्रा, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUJ (C.G.)


प्रभारी
स्थापना/प्रशासन

प्रति,

कुलसचिव,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 एवं विश्वविद्यालय आदेश क्र. 2485/स्था./प्रशा./2024 दिनांक 14.03.2024 के तारतम्य में।

—0—

उपरोक्त संदर्भित आदेश के तारतम्य में मैं डॉ. चंदना मित्रा, प्राध्यापक, शासकीय महामाया, महाविद्यालय रतनपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग. से कार्यमुक्त होने के पश्चात् आज दिनांक 14.03.2024 को अपराह्न पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो गयी हूँ।

- संलग्न :- 1. संदर्भित आदेश की प्रति।
2. महाविद्यालय का कार्यमुक्त आदेश।


प्रभारी
स्थापना विभाग
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

भवदीय

डॉ. चंदना मित्रा
(प्राध्यापक)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 2891/4/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : 16/07/2024

प्रति,

श्री डोंगेश्वर प्रसाद साहू

विषय :- मानविकी

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्र. 2892/4/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : 16/07/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
P. Sundar Lal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

बिलासपुर (छ.ग.)

द्वारा :- निदेशक, मानविकी संकाय

विषय :- कार्यभार ग्रहण संबंधी।

संदर्भ :- आपका आदेश क्र. 2891/स्था./प्रशासन

महोदय,

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 2891/स्था./प्रशासन के तारतम्य में आज दिनांक 16/07/2024 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रेषित :-


हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष


हस्ताक्षर

नाम : डॉ. जे. जे. जे. साहू

विभाग : मानविकी





Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Bachelor of Business Application				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Dr. Pushkar Dubey	Assistant Professor	Ph.D	pushkardubey22@gmail.com 9938973044
2.	Dr. Prakash Mahilange	Assistant Professor	Ph.D	Drpkmahilnagel@gmail.com 9826921641
3.	Mr. Narsing Soni	Assistant Professor	M.B.A. NET	Narisingh.ktujm@gmail.com 8962172176

E. Dubey
REGISTRAR
Pt. Sundarlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. Prakash Mahilange
Regional Director
Regional Director
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 643644 फैक्स 424329, 213073

Web site : www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्र. 3964 / प्रशा. / स्था. / 16,

बिलासपुर, दिनांक 08/07/2016

// आदेश //

पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कड़िका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर एवम् विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 52 वीं बैठक दिनांक 30/06/2016 के प्रस्ताव क्रमांक 05 में लिये गये निर्णय के अनुसार डॉ. पुष्कर दुबे पिता श्री अचलेन्द्र शेखर दुबे को सहायक प्राध्यापक विषय प्रबंधन (मानव संसाधन विकास) के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100+6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी -

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्र. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।
- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियुक्ति द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः - 02

REGISTRAR
Pt. Sunder Lal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

// 02 //

- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानांतरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

R. Singh
(डॉ. राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ.क्र. 3965 / प्रशा. / स्था. / 16,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 08/07/2016

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. पुष्कर दुबे c/o गोपाल चन्द्र सेठ, वार्ड नंबर 01, डॉ. एस. एल. शर्मा गली, सरस्वती विहार के पीछे, भटली चौक, पो./जिला- बरगड़ (उड़ीसा) पिन कोड 768028 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ✓ 5. व्यक्तिगत नरती हेतु।

R. Singh
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

R. Singh
कुलसचिव

To,
The Registrar,
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University,
Bilaspur, Chhattisgarh.

Subject: Joining Letter

Respected Sir,

In response to your appointment order no. 3964/Adm/Estd./16, dated: 08/07/2016, I feel honored to confirm and join as an Assistant Professor of Management subject of Pandit Sundarlal Sharma (Open) University, Bilaspur, Chhattisgarh. I sincerely thank you for providing me the opportunity to serve the institution. I will perform my duties sincerely, honestly and to the best of my abilities.

I request you to accept my joining letter.

Thanking you,

Yours faithfully,

Dr. Pushkar Dubey

Dr. Pushkar Dubey

MBA (Gold Medalist); UGC-NET; PhD.

Date: 13/07/2016

Place: Bilaspur, Chhattisgarh

जावक क्रमांक ८२२५३७७३
विभाग - कुलसचिव कार्यालय
दिनांक - १३-७-२०१६

स्था.
RVS
13.7.16
11.30

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 3024/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : 08/08/2024

प्रति,

डॉ. प्रकाश कुमार महिलांगे

विषय :- प्रबंधन

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

क्षीदेशानुसार


कुलसचिव

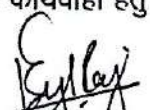
पृ. क्र. 3024/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : 08/08/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

1588
14/8/24

प्रति

कुलसचिव

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
द्वारा - विभागाध्यक्ष, ~~विभाग~~ ^{वाणिज्य एवं उद्योग} विभाग।

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

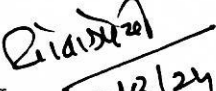
संदर्भ : आपका आदेश क्र. 3028/स्था./प्रशा./2024

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 3028/स्था./प्रशा./2024
के तारतम्य में आज दिनांक 12/08/2024 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि
शिक्षक) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रेषित:-

हस्ताक्षर 
12/8/24

विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर 

नाम Dr. Prakash Kumar
Mahilange

प्र. 2 व्यापना
B1
14/8

जावक क्रमांक 024/1177
दिनांक 14/8/24
कुलसचिव कार्यालय

2074
13/8/24

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.3026 / स्था. / प्रशा. / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

प्रति,

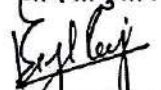
श्री नरसिंह सोनी

विषय :- प्रबंधन

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

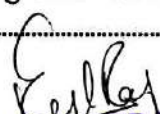
क्षीदेशानुसार

कुलसचिव

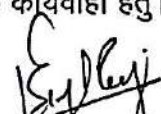
पृ. क्र.3027 / स्था. / प्रशा. / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Op.)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

7587
14/8/24

प्रति

कुलसचिव

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

द्वारा - ~~विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग~~ विभागाध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. 3026/स्वा. / पशा. / 2024

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 3026/स्वा. / पशा. / 2024

के तारतम्य में आज दिनांक 12/08/2024 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अप्रेषित:-

डॉ. कोषाजी
12/8/2024

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर

नाम

Dr. Koshi
नरसिंह सोनी

प्र. सहायता
B1
14/8

जायक क्रमांक 024/1176
दिनांक 14/8/24
कुलसचिव कार्यालय

2075
13.8.24



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Bachelor of Commerce				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Prof. Shobhit Kumar Bajpayee	Professor	Ph.D	skvajpeyee@gmail.com 9425230007
2.	Dr. Mordhwaj Tripathi	Assistant Professor	Ph.D	mordhwajtripathi@gmail.com 8770488723
3.	Ms. Ankita Lakra	Assistant Professor	M.Com. NET	Ankitalakra97@gmail.com 8889584280

Eylbys
REGISTRAR
Pt. Sundarlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Qianzuzi
Regional Director
Regional Director
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
Chhattisgarh, Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752 website- pssou.ac.in

क्र. 452 / प्रशा./स्था./2021

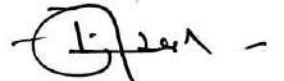
बिलासपुर, दिनांक : 16 /08/2021

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-4/2020/38-2 दिनांक 13.08.2021 द्वारा डॉ. शोभित कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक (वाणिज्य), राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा की नवीन पदस्थापना पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से संलग्न किया गया है।

अतः राज्य शासन के उपरोक्त आदेश के परिपालन में डॉ. शोभित कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक (वाणिज्य) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा को इस विश्वविद्यालय में दिनांक 16.08.2021 से प्राध्यापक वाणिज्य का प्रभार दिया जाता है। डॉ. बाजपेयी वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक के साथ-साथ CIQA एवं नैक सेल के Director होंगे।।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ.क्र. 453 / स्था./प्रशा./2021

बिलासपुर, दिनांक 16/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
4. प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला-सरगुजा को सूचनार्थ।
5. डॉ. शोभित कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक (वाणिज्य) को सूचनार्थ।
6. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. Co-Ordinator नैक सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. विभाग प्रमुख को सूचनार्थ।
9. कार्यालय प्रति।


प्रमुख
स्थापना/प्रशासन

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

—0—

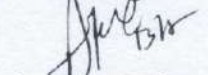
::आदेश::

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 13/08/2021

क्रमांक एफ 1-4/2020/38-2 :: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 4 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से संलग्न किया जाता है:-

क्रमांक	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	संलग्न किये गये विश्वविद्यालय का नाम
1.	2.	3.	4.
1.	डॉ. राजकुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक (भूगोल)	शास. महाविद्यालय, बरपाली कोरबा, जिला-कोरबा	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
2.	श्री सुनील कुमार अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, (वाणिज्य)	रा.ग्रा. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा	शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
3.	श्री हर्ष कुमार पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक, (समाजशास्त्र)	शास. महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर
4.	डॉ.शोभित कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक (वाणिज्य)	राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा	पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(ए.आर. खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 13/08/2021

पृ.क्र. एफ 1-4/2020/38-2

प्रतिलिपि:

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
02. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
03. कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़, (छ.ग.)।
04. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, (छ.ग.)।
05. कुलपति, पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, (छ.ग.)।
06. कलेक्टर जिला-रायगढ़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
07. प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, बरपाली, जिला-कोरबा, (छ.ग.)।

निरंतर../2/

जावक क्रमांक 024/1653
दिनांक 24/8/21
कुलसचिव कार्यालय

08. प्राचार्य, रा.ग्रा. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला-सरगुजा, (छ.ग.)।
 09. प्राचार्य, शास. महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा, (छ.ग.)।
 10. प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, (छ.ग.)।
 11. जिला कोषालय, कोषालय अधिकारी, रायगढ़/बिलासपुर, (छ.ग.)।
 12. संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव,....., (छ.ग.)।
 13. संबंधित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक....., (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रति,

माननीय कुलपति जी,
पं० सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्व विद्यालय
बिलासपुर (छावगाव)

विषय: कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ: (1) छात्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भेंगालय, महानदी
भवन नया रायपुर अरालनगर रायपुर का आदेश क्र०
एफ 1-4/2020/38-2 दि० 13.08.2021.
(2) प्रचार्य शं.गौ० शासकीय स्नातकोत्तर महा० अम्बिकापुर का
पत्र क्र० 261/स्था०/2021 दि० 14.08.2021.

महोदय,

सनम निवेदन है कि उपर्युक्त संदर्भांकित (1) एवं (2)
के परिपालन में मैं आज दि० 16.08.2021 पूर्वान्ह में
अपने कार्य पर उपस्थित हूँ।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
सादर।

दि० 16.08.2021

संलग्न:
उपर्युक्त संदर्भांकित क्र० (1)
एवं (2) की प्रति

भवदीय

डॉ० वाजपेयी

(डॉ० शोभित कुमार वाजपेयी)

प्राध्यापक, वाणिज्य

र

16.8.21

प्र० 2021/प्रशा०

8
16/8/21

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752 website- pssou.ac.in

क्र. 095 / स्था. / प्रशा. / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 31/03/2022

// आदेश //

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.03.2022 के प्रस्ताव क्र. 06 पर लिये गये निर्णय के अनुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा को मान्य कर डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी, पिता डॉ. रामशरण लाल त्रिपाठी को अनारक्षित वर्ग में विषय वाणिज्य (Commerce) सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100 + 6,000 ग्रेड पे (लेवल-10) में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

2 / यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी -

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्र. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।
- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएँ विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानांतरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त निर्देश 21/2020, वित्त विभाग छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक 372/260/वि. /नि. /चार/2020 नवा रायपुर दिनांक 29.07.2020 के अनुसार देय होंगे।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़

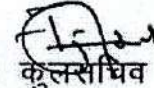
क 996 / स्था. / प्रशा. / 2022

बिलासपुर दिनांक : 31 / 03 / 2022

तलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी पिता डॉ. रामशरण लाल त्रिपाठी, त्रिपाठी सदन, नेहरू चौक, इंदिरा सेतु मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

दिनांक:- 31/03/2022

प्रति,

कुलसचिव महोदया,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
बिलासपुर

विषय :- सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) पद पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ :- पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का आदेश क्र. 996/स्था.
/प्रशा./2022 बिलासपुर, दिनांक 31/03/2022

महोदया,

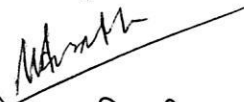
उपरोक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में मैं आज दिनांक 31/03/2022 को
अपरान्ह में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सादर

संलग्न :- आदेश की प्रति।

भवदीय



डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 3030 / स्था. / प्रशा. / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

प्रति,

कु. अंकिता लकड़ा

विषय :- वाणिज्य

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्र. 3031 / स्था. / प्रशा. / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 08 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

1588
14/8/24
प्रति

कुलसचिव

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
द्वारा - विभागाध्यक्ष, ~~विज्ञान~~ **वाणिज्य एवं प्रबंधन** विभाग।

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

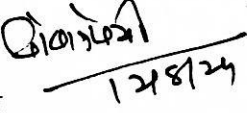
संदर्भ : आपका आदेश क्र. 3020/अ.प्रशा./2024

महोदय

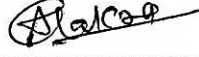
सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 3020/अ.प्रशा./2024
के तारतम्य में आज दिनांक 12/08/24 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि
शिक्षक) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रेषित:-

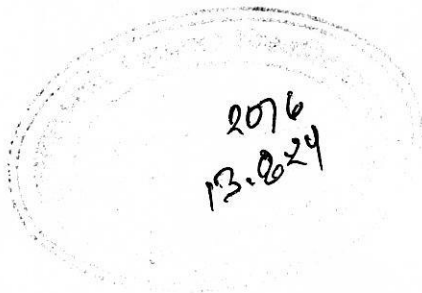
हस्ताक्षर 
12/8/24

विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर 

नाम अंकिता लक्ठा

पं. सुन्दरलाल
R.S.
14/8



जावक क्रमांक 024/1/25
दिनांक 14.8.24
कुलसचिव कार्यालय



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh
 Accredited A+ by NAAC, Bengaluru
 Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: BACHELOR OF SCIENCE				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Dr. Basant Kumar Soni	Professor	Ph.D	drbksoni@gmail.com 9826485424
2.	Dr. Dhananjay Mishra	Associate Professor	Ph.D	saidhan33@gmail.com 9093909133
3.	Dr. Sarita Chandravanshi	Assistant Professor	Ph.D.	saritacwanshi@gmail.com 8349238544

Egla
REGISTRAR
 Pt. Sunderlal Sharma (Open)
 University Chhattisgarh
 BILASPUR (C.G.)

Bhargava
Regional Director
Regional Director
 Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
 Chhattisgarh, Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

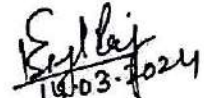
// आदेश //

बिलासपुर, दिनांक : 14/03/2024

क्र. 2493/स्था./प्रशा./2024 :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा डॉ. बसंत कुमार सोनी, प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए इन्हें पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विज्ञान संकाय के विषय समूह में रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।

राज्य शासन के उपरोक्त आदेश के तारतम्य में डॉ. बसंत कुमार सोनी को प्राध्यापक पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति के सामान्य शर्तों पर शासन के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

आदेशानुसार


14/03/2024
कुलसचिव

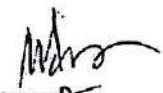
पृ.क्रमांक 2494/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक: 14/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. डॉ. बसंत कुमार सोनी, भौतिकशास्त्र विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


प्रभारी
स्थापना/प्रशासन

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 एवं विश्वविद्यालय आदेश क्र. 2493/स्था./प्रशा./2024 दिनांक 14.03.2024 के तारतम्य में।

—0—

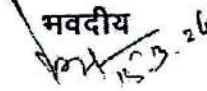
उपरोक्त संदर्भित आदेश के तारतम्य में मैं डॉ. बसंत कुमार सोनी, प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. से कार्यमुक्त होने के पश्चात् आज दिनांक 15.03.2024 के अपराह्न पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो गया हूँ।

संलग्न :- 1. संदर्भित आदेश की प्रति।

2. महाविद्यालय का कार्यमुक्त आदेश।


प्रभारी
स्थापना विभाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

भवदीय

डॉ. बसंत कुमार सोनी
(प्राध्यापक)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

--// आदेश //

बिलासपुर, दिनांक : 16/03/2024

क्र. 2515/स्था./प्रशा./2024 :- विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 10 (A) के अंतर्गत विभिन्न Faculties के Director का दायित्व आगामी आदेश तक निम्नानुसार को दिया जाता है :-

No	Faculty Name	Name
1	School of Humanities	Dr. Heeralal Sharma
2	School of Social Science	Dr. Chandana Mitra
3	School of Science	Dr. Basant Kumar Soni
4	School of Education/ Physical Education	Dr. Santosh Kumar Bajpayee
5	School of Life Science	Dr. Dhananjay Mishra

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2055/स्था./प्रशा./2023 बिलासपुर दिनांक 08.10.2023 के द्वारा डॉ. शोभित कुमार वाजपेयी, प्राध्यापक Faculty of Commerce & Management Studies के Director बने रहेंगे।

यह आदेश जारी तिथि से प्रभावशील होगा।

अनुशानुसार

[Signature]
16.03.2024
कुलसचिव

पृ.क्रमांक 2516/स्था./प्रशा./2023
प्रतिलिपि -

बिलासपुर दिनांक : 16/03/2024

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. Director, CIQA को सूचनार्थ।
3. संबंधित को सूचनार्थ एवं आदेश के पालनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

[Signature]
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

[Signature]
प्रभारी
स्थापना/प्रशासन

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- फैकल्टी के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय आदेश क्र. 2515/स्था./प्रशा./2024 बिलासपुर दिनांक
16.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपालन में मैं डॉ. वंशत शर्मा
सोनी - आज दिनांक 16.03.2024 को फैकल्टी पिनोनी
के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सादर सूचनार्थ।


भवदीय

दिनांक : 16.03.2024

नाम - (B. K. Soni)


प्रभारी
स्थापना विभाग
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

// आदेश //

बिलासपुर, दिनांक : 14/03/2024

क्र. 2489/स्था./प्रशा./2024 :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 के द्वारा डॉ. धनंजय मिश्र, प्राणीशास्त्र विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ (छ.ग.) की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए इन्हें पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में जीव विज्ञान संकाय के विषय समूह में रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है।

राज्य शासन के उपरोक्त आदेश के तारतम्य में डॉ. धनंजय मिश्र को सह प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसर) पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति के सामान्य शर्तों पर शासन के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

आदेशानुसार

[Signature]
14/03/2024
कुलसचिव

पृ.क्रमांक 2490/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक: 14/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. डॉ. धनंजय मिश्र, प्राणीशास्त्र विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

[Signature]
16/3/24

E: Est./mazhar/order-2

[Signature]
REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

[Signature]
प्रभारी
स्थापना / प्रशासन

प्रति,

कुलसचिव,

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने बाबत।

संदर्भ :- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 9-6/2023/38-2 दिनांक 14.03.2024 एवं विश्वविद्यालय आदेश क्र. 2489/स्था./प्रशा./2024 दिनांक 14.03.2024 के तारतम्य में।

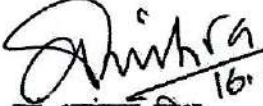
—0—

उपरोक्त संदर्भित आदेश के तारतम्य में मैं डॉ. धनंजय मिश्र, प्राणीशास्त्र, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़ जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. से कार्यमुक्त होने के पश्चात् आज दिनांक 16.03.2024 के पूर्वाह्न पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो गया हूँ।

संलग्न :- 1. संदर्भित आदेश की प्रति।

2. महाविद्यालय का कार्यमुक्त आदेश।

भवदीय


डॉ. धनंजय मिश्र 16.3.24


प्रभार
स्थापना वि भाग
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विवि
बिलासपुर (छ.ग.)


REGISTRAR
P. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.२११०/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : ०६/०८/2024

प्रति,

डॉ. सरिता चंद्रवंशी

विषय :- जंतु विज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्र.२१११/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : ०६/०८/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

7589
14/5/24

प्रति

कुलसचिव

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

द्वारा - विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग।

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

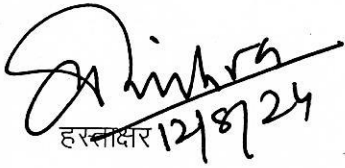
संदर्भ : आपका आदेश क्र. 2990/स्था./प्रशा./2024 दिनांक 08/08/2024

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. 2990/स्था./प्रशा./2024 दिनांक 08/08/2024 के तारतम्य में आज दिनांक 12/08/2024 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

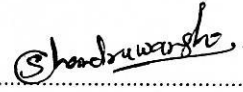
सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रेषित:-


हस्ताक्षर 12/8/24

विभागाध्यक्ष

Department of Zoology
Pt. Sunderlal Sharma (Open) Uni.
Chhattisgarh, Bilaspur

हस्ताक्षर 

नाम डॉ. सारिता चन्दवंशी
(जागी शास्त्र)

प्र. सचिव
B1
14/8

जावक क्रमांक 022/1138
दिनांक 14/8/24
कुलसचिव कार्यालय

2071
13/8/24



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

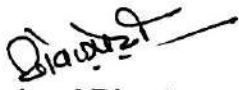
Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Masters of Library& Information Science				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Mr. Rajnikant Dongre	Assistant Professor	M.Lib. NET	rajnikantdongre50@gmail.com 7879942536
2.	Mr. Lakesh Kumar	Assistant Professor	M.Lib. NET	lakeshsahu490@gmail.com 7354522845
3.	Dr. Promod Kumar Kurrey	Assistant Professor	Ph.D	pramodkurre@gmail.com 9827165105


REGISTRAR
 Pt. Sunderlal Sharma (Open)
 University Chhattisgarh
 BILASPUR (C.G.)


Regional Director
 Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
 Chhattisgarh, Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.3228/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रति,

श्री रंजनीकांत डोंगरे

विषय- ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. यह आदेश यू.जी.सी. डेब द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संचालन की अनुमति मिलने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्र.3229/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.3234/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रति,

श्री लकेश कुमार

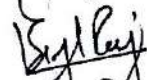
विषय- ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. यह आदेश यू.जी.सी. डेब द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संचालन की अनुमति मिलने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्र.3235/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.3232/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : 24/10 /2024

प्रति,

डॉ. प्रमोद कुमार कुर्रे

विषय- ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. यह आदेश यू.जी.सी. डेब द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संचालन की अनुमति मिलने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ. क्र.3233/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : 24/10 /2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव



Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

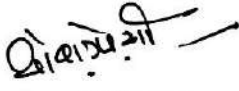
Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

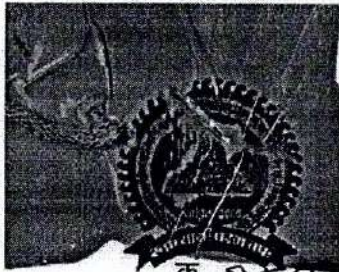
Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Master of Arts (Psychology)				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Dr. S. Rupendra Rao	Assistant Professor	Ph.D.	rupendrrao@gmail.com 8817956122
2.	Dr. Krishna	Assistant Professor	Ph.D	krishna.sharma710@gmail.com 7052029861
3.	Dr. Ankita Deshmukh	Assistant Professor	Ph.D	adeshmukh.2108@gmail.com 8839903623


REGISTRAR
 Pt. Sundarlal Sharma (Open)
 University Chhattisgarh
 BILASPUR (C.G.)


Regional Director
Regional Director
 Pandit Sundarlal Sharma (Open) University
 Chhattisgarh, Bilaspur



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 643644 फैक्स 424329, 213073

Web site : www.pssou.ac.in, E-mail - registrar@pssou.ac.in

क्र. 2563/ प्रशा./स्था./16,

बिलासपुर, दिनांक 15/03/2016

// आदेश //

पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर एवम् विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 49 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 06 में लिये गये निर्णय के अनुसार डॉ. साधनाला रूपेन्द्र राव पिता श्री एस. शेषगिरी राव को अनारक्षित वर्ग में विषय मनोविज्ञान (अनुप्रयुक्त) सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100+6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी -

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।
- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

PSSOU/Adm/

REGISTRAR
Pt. Sunder Lal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

[Handwritten Signature]

क्रमशः - 02

// 02 //

- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानान्तरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

R. W. Sharma

(डॉ. राजकुमार सचदेव)

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुरपृ.क्र. 2569 / प्रशा./स्था./16,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 15/03/2016

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. साधनाला रूपेन्द्र राव, रेल्वे अंडर ब्रिज के पास, तारबाहर, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

E. Sharma
REGISTRAR
 Pt. Sunderlal Sharma (Open)
 University Chhattisgarh
 BILASPUR (C.G.)

R. W. Sharma

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.3226/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रति,

डॉ. कृष्णा

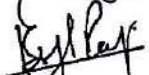
विषय- मनोविज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. यह आदेश यू.जी.सी. डेब द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संचालन की अनुमति मिलने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्र.3227/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunder Lal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752

website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.3224/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक 24/10/2024

प्रति,

डॉ. अंकिता देशमुख

विषय- मनोविज्ञान

विषय :- C.A.M. के तहत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अकादमिक सत्र 2024-25 के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. आपका कार्य पूर्णकालिक है। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि
I आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
II आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं।
III आप अन्य किसी संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
7. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 10 माह तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।
8. यह आदेश यू.जी.सी. डेब द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संचालन की अनुमति मिलने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशानुसार

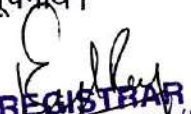

कुलसचिव

पृ. क्र3225/स्था./प्रशा./2024

बिलासपुर, दिनांक : 24/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. संबंधित शिक्षण विभाग विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


कुलसचिव